## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली और विद्युत वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) का राजस्व संग्रह पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आधिक्य/व्यर्थ/निरर्थक/निष्फल/परिहार्य/अनुत्पादक परिव्यय, ठेकेदार को अनुचित लाभ, निष्क्रिय निवेश, निधियों का व्यपवर्तन से सम्बन्धित ₹ 1134.14 करोड़ के 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

## सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- पी एस यूज)

### निष्पादन लेखापरीक्षा

**रा ग्रा स्वा मि के क्रियान्वयन** पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- राज्य में निचले स्तर के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहचान हेतु वांछित घरेलू सर्वेक्षण एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं कराए गये। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं, ब्लाक एवं ग्राम्य स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को संकलित किए बिना तैयार की गयी।

*[प्रस्तर-1.2.6.1]*

- वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 778.28 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष ₹ 115.77 करोड़ अव्ययित छोड़ते हुए ₹ 650.10 करोड़ का व्यय किया गया एवं ₹ 12.41 करोड़ भारत सरकार को वापस किए गये।

*[प्रस्तर-1.2.7.1]*

- विभाग ₹ 64.23 करोड़ के व्यय के बावजूद ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता उप समिति (ग्रा स्वा स्व उ स) से रा ग्रा स्वा मि के कार्यान्वयन हेतु नियोजन एवं अनुश्रवण में कोई योगदान लेने में असफल रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 30.44 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी ग्रा स्वा स्व उ स से प्राप्त नहीं किये गये।

*[प्रस्तर-1.2.7.2]*

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा लाभार्थियों को ₹ 2.98 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किया गया था।

*[प्रस्तर-1.2.8.2 (iii)]*

- अत्यधिक अधिप्राप्ति के कारण, ₹ 1.21 करोड़ की ड्रग किटें (ए एवं बी) ड्रग वेयर हाउस में कालातीत हो गयीं तथा ₹ 2.18 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरण नमूना परीक्षित (सा स्वा केन्द्रों/प्रा स्वा केन्द्रों पर निष्क्रिय पड़े हुए थे।

*[प्रस्तर-1.2.9.1 एवं 1.2.9.2]*

- एक सेवा प्रदाता (108-आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा) को ₹ 7.95 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान किया गया एवं उससे ₹ 3.20 करोड़ की परिचालन लागत की वसूली भी नहीं की गयी।

*[प्रस्तर-1.2.9.4]*

इन्दिरा आवास योजना (इं आ यो) जो कि एक केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना है, की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालन की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- इं आ यो के अंतर्गत 642 ऐसे व्यक्तियों को ₹ 2.49 करोड़ की सहायता वितरित की गयी जिनका चयन नियमों का उल्लंघन कर अनियमित रुप से किया गया था।

*[प्रस्तर-1.3.6.1]*

- आवासीय भूखण्ड योजना राज्य में लागू नहीं की गई थी।

*[प्रस्तर-1.3.6.6]*

- वर्ष 2008-13 के दौरान भारी अवशेष राशि खर्च नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता में ₹ 39.19 करोड़ की कटौती की गई।

*[प्रस्तर-1.3.7.1]*

- इं आ यो निधियों से उपार्जित ₹ 53.97 लाख की ब्याज की धनराशि बिना लेखे-जोखे के रह गयी क्योंकि ये निधियाँ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अन्य योजनाओं के खातों के साथ रखी गयी थी।

*[प्रस्तर-1.3.7.4]*

- 38 बी पी एल-आई डी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.19 लाख का अनियमित लाभ प्रदान किया गया।

*[प्रस्तर-1.3.8.2]*

- प्रतीक्षा सूची में रैंकिंग की अनदेखी कर 73 लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति दी गई थी एवं राज्य आवासीय योजनाओं से पहले से ही लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को 45 आवासों का आवंटन किया गया था।

*[प्रस्तर-1.3.6.1 एवं 1.3.8.5]*

- इं आ यो के अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की जो सूचना भारत सरकार को प्रेषित की गई उसके आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि 6 से 80 *प्रतिशत* के अभिकरण की उपलब्धि की सूचना के सापेक्ष एक भी मामला लेखापरीक्षा में लाभान्वित नहीं पाया गया।

*[प्रस्तर-1.3.8.8]*

**सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली** की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- 295 नहरों के न्यून उपयोग के फलस्वरूप 25,797 हेक्टेयर कम सींच प्राप्त हुई।

*[प्रस्तर-1.4.6.2 (अ)]*

- विभाग वर्ष 1983-84 से जल संस्थान एवं मेसर्स एच एम टी लिमिटेड से ₹ 16.39 करोड़ की अदत्त देयताओं के संग्रहण में विफल रहा।

*[प्रस्तर-1.4.7.2]*

- विभाग तराई भाबर क्षेत्र की नहरों की मरम्मत एवं रखरखाव में ₹ 2.15 करोड़ के व्यय के बाद भी जल कर लगाने में असमर्थ था।

*[प्रस्तर-1.4.7.3]*

- विभाग द्वारा ₹ 68.62 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

*[प्रस्तर-1.4.11.1]*

- विभाग का आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र अपर्याप्त था।

*[प्रस्तर-1.4.13.2]*

## अनुपालन लेखापरीक्षा

### पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों की अधिप्राप्ति

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) का मुख्य उद्देश्य राज्य में परिवहन, संचार एवं हथियारों की भारी कमी के कारण अप्राप्त था। भारत-नेपाल सीमा के सुदृढीकरण का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि ₹ 2.13 करोड़ लागत के वाहन एवं उपकरण अधिकृत (सीमावर्ती) जिलों की वजाय अन्य जिलों को प्रदान किये गये। विभाग द्वारा एम पी एफ से एस एस पी/एस पी/डी एस पी के लिए ₹ 64.11 लाख कीमत की 14 कारें भी क्रय की गयीं।

*[प्रस्तर-1.5]*

### राजकीय मेडिकल कॉलेजो में एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश के लियें चयन प्रक्रिया

राजकीय मेंडिकल कॉलेजों के यूपीएमटी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वास्तविकता के सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी पायी गयी क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के 47 *प्रतिशत* प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया जाना अभी भी शेष था। फोरेंसिंक जाँच में विलम्ब के कारण मेडिकल कॉलेजों की 17 एमबीबीएस सीटें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये रिक्त रह गयी थी। ये मेडिकल कॉलेज, 24 अभ्यर्थियों जिन्होनें प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद या त्रुटिपूर्ण मूलनिवास प्रमाणपत्रों के उपयोग के आधार पर या विपरीत फोरेंसिंक जाँच आख्या के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम छोड दिया था, प्रत्येक से ₹ 30 लाख क्षतिपूर्ति दावा करने में विफल रहे।

*[प्रस्तर-1.6]*

### राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अन्तर्गत राज्य कुल उपलब्ध निधि का केवल 38 *प्रतिशत* ही उपयोग कर पाया और 2009-13 की अवधि में 34 *प्रतिशत* जरूरतमन्द बस्तियों को ही आच्छादित किया जा सका। जाँच में ₹ 6.04 करोड़ की निधि का व्यावर्तन, एन आर डी डब्ल्यू पी के आपदा राहत निधि घटक से ₹ 47.50 लाख के अनियमित व्यय तथा ठेकेदारों को ₹ 1.78 करोड़ की ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशियाँ प्रदान करने के मामले पाए गए।

*[प्रस्तर-1.9]*

### प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता

पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि ₹ 802.37 करोड़ की लागत के कुल 291 सड़क निर्माण कार्यों में से मात्र 64 कार्य (22 *प्रतिशत*) ₹ 119.89 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए एवं मार्च 2013 तक ₹ 237.58 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 227 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। नमूना जाँच वाले पी आई यू में ₹ 4.16 करोड़ की धनराशि का व्यय अनियमित एवं 3.73 करोड़ रुपये दिशा-निर्देशों के विपरीत योजना पर भारित पाए गए। नौ ठेकेदारों के विरुद्व ₹ 2.27 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम की धनराशि इनकी बैंक गारन्टी कालातीत होने के बावजूद भी अभी तक वसूली हेतु लम्बित थी।

*[प्रस्तर-1.11]*

### तकनीकी शिक्षा विभाग में अवस्थापना सुविधायें

विभाग अवस्थापना सुविधाओं के लिए कल्पित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में असफल रहा। ₹ 227.02 करोड़ की पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के बाद भी यह केवल ₹ 110.79 करोड़ (49 *प्रतिशत*) व्यय कर सका। संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय पॉलीटेक्निकों में

59 *प्रतिशत* किराये के भवनों से परिचालित थे तथा कर्मचारी आवासीय भवनों के पूर्ण न होने के कारण सरकारी आवास से वंचित थे। 33 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 28 ट्रेड यन्त्रों/संयत्रों के अभाव में चल रही थी जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन सी वी टी) से सम्बद्ध न होने के लिए मुख्य कारणों में से एक था।

*[प्रस्तर-1.13]*

## राजस्व क्षेत्र

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### वाणिज्य कर विभाग में राजस्व बकाया

वर्ष 2008-09 (₹ 501.43 करोड़) से वर्ष 2012-13 (₹ 2,563.17 करोड़) की अवधि के दौरान राजस्व बकाये में ₹ 2,061.74 करोड़ की वृद्धि हुई। ₹ 48.03 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण एक माह से आठ वर्ष तक के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.99 करोड़ के स्थगित मामलों में स्थगन खारिज नहीं करवाया गया, ₹ 35.48 करोड़ के एक पक्षीय मामलों का निपटान न किया जाना तथा ₹ 13.54 करोड़ के राजस्व बकाया का अधिनिर्धारण किया गया।

*[प्रस्तर-2.2]*

विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरुप ₹ 79.84 लाख स्टाम्प शुल्क का अनारोपण।

*[प्रस्तर-2.4]*

## आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)

### निष्पादन समीक्षा

**विद्युत वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) के राजस्व संग्रह** की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा तय, निर्धारित ऊर्जा नुकसान सीमा के बाद भी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से ₹ 473.78 करोड़ की ऊर्जा लागत की वसूली नहीं की जा सकी थी।

*[प्रस्तर - 3.2.7.1]*

- यू ई आर सी की बिजली आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार 'स्टॉप बिलिंग' मामलों का निस्तारण न किए जाने के कारण ₹ 196.07 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

*[प्रस्तर - 3.2.7.2(i)(अ)]*

- उचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग न करने के कारण कम्पनी को ₹ 3.88 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

*[प्रस्तर - 3.2.7.6]*

- कम्पनी द्वारा 1,206 उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान के कारण ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत भार और ₹ 217.39 करोड़ के विलम्ब भुगतान अधिभार की राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।

*[प्रस्तर-3.2.8.1(द)]*

- 147 बड़े और भारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में ₹ 17.04 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।

*[प्रस्तर - 3.2.8.1(य)]*

- वसूली प्रमाण पत्रों के उचित ढंग से अनुश्रवण न किए जाने के कारण 2,539 दोषी उपभोक्ताओं से ₹ 45.51 करोड़ की प्राप्ति नहीं की गई।

*[प्रस्तर - 3.2.8.1(ल)]*

## अनुपालन लेखापरीक्षा

### कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन

निगम राज्य के कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसकी सुविधाओं को उपयोग करने वाले पर्यटकों का *प्रतिशत* (5.29 *प्रतिशत*) नगण्य था। निगम के पास प्रचार के लिए कोई रणनीति नहीं थी। अपर्याप्त योजनाओं के कारण ही ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 2.12 करोड़ के व्यय से 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के) का निर्माण कराया जिसमें से ₹ 0.97 करोड़ से निर्मित 9 प सू के बेकार अवस्था में थे। इसके अलावा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के बिना ₹ 1.42 करोड़ की लागत से निर्मित एक पर्यटक विश्राम गृह बेकार अवस्था में था।

*[प्रस्तर-3.3]*

### उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

यू पी सी एल ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2793.45 एम यूज अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। अल्पकालीन ऊर्जा क्रय वर्ष 2009-10 में 138.92 एम यूज से आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1696.08 एम यूज हो गयी। यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक ओवरड्रॉल करता रहा जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड असंतुलित हुआ।

*[प्रस्तर-3.4]*